

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.22(1)न्याय/22

जयपुर, दिनांक

::आज्ञा::

राजस्थान विधि सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को अपने पद के कार्य के साथ-साथ उनके नाम के सम्मुख अंकित विभाग में रिक्त पदों का अग्रिम आदेशों तक अतिरिक्त कार्य सम्पादित किये जाने हेतु तुरन्त प्रभाव से निर्देशित किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री)	वर्तमान पदस्थापन स्थान	अतिरिक्त कार्य हेतु आवंटित विभाग
1.	अजय अग्रवाल	सहायक विधि परामर्शी आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	सहायक विधि परामर्शी पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (सप्ताह में 2 दिवस गुरुवार एवं शुक्रवार)
2.	वेदप्रकाश मीणा	वरिष्ठ विधि अधिकारी अधीक्षक, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर	उप विधि परामर्शी सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर
3.	नेहा खान	कनिष्ठ विधि अधिकारी जिला कलक्टर कार्यालय टोंक	कनिष्ठ विधि अधिकारी कार्यालय निदेशक, उद्यानिकी विभाग, जयपुर (सप्ताह में 3 दिवस बुधवार से शुक्रवार)
4.	मोहन सिंह	कनिष्ठ विधि अधिकारी नगर परिषद् अलवर	कनिष्ठ विधि अधिकारी जिला कलक्टर कार्यालय डीग (सप्ताह में 2 दिवस गुरुवार एवं शुक्रवार)
5.	विराट कुमार	वरिष्ठ विधि अधिकारी जिला परिषद्, अलवर	कनिष्ठ विधि अधिकारी नगर विकास न्यास, अलवर (सप्ताह में 2 दिवस गुरुवार एवं शुक्रवार)
6.	निमिता शर्मा	कनिष्ठ विधि अधिकारी जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	कनिष्ठ विधि अधिकारी सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर (सप्ताह में 2 दिवस गुरुवार एवं शुक्रवार)

साथ ही इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आज्ञा दिनांक 04.09.2023 द्वारा श्रीमती निशकला सैनी, कनिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प.क.), भरतपुर को दिये गये अतिरिक्त कार्य के आदेश को निरस्त किया जाता है। शेष यथावत रहेंगे।

आज्ञा से

(आशुतोष कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
- उपरोक्त सभी संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि वे अतिरिक्त कार्य हेतु आवंटित स्थान पर कार्यग्रहण करें अन्यथा इसे गम्भीरता से लिया जाकर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट भी इस विभाग को अविलम्ब भिजवायें।
- प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव